

वादीगण विरुद्ध प्रारिवादीगण दर्जे राजिस्ट्र कर जादेक सभान
 हलक किया जावे । पत्रावली वास्ते लखी प्रारिवादीगण इनांक
 २६५१३ को पेश हो।

(५)

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डरायल (करोली)

२६५१३

पत्रावली पेश हुये। वकील वादीगण उपास्थित प्रारिवादी नं. २ व
 ३ की ओर से श्री विष्णु चंद्र बंसल ने वकालतनाम पेश किया
 जो शामिल पत्रावली दिखाया एवं प्रारि. नं. २ व ३ की ओर से
 उपास्थित पेश किया जो शामिल पत्रावली दिखाया। नतीजतन
 वादीगण को डिहाई गडी प्रारिवादी नं. १, ५, ६ की लकील लोअर
 नही आई है। पत्रावली वास्ते इन्काम लकील प्रारिवादी नं. १, ५, ६
 इनांक २५.६.१७ को पेश है। (५)

१९/६/१७

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आफिस डार- २०१७ डेम्प
 गुरदह पर प्रस्तुत हुडा वाकी मकोई एवं प्रारिवादी नं. - २ व ३ मथ
 वकील उपास्थित। प्रारि. नं. ५ बाबजूद लकील उपास्थित नही। डार उलके
 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा रहे हैं। प्रारिवादी नं. ३ के
 प्रारिनिधि व प्रारिवादी नं. ५ स्वयं उपास्थित। वादीगण व प्रारिवादीगण
 ने राजीनामा पेश किया जो बाद हस्तीक शामिल पत्रावली किया
 गया। मुलाबिक राजीनामा दावा वादीगण, प्रारिवादीगण नं. २ व ३ के
 विरुद्ध आंशिक डिडी किया जाता है। प्रारिवादी नं. २ व ३ को स्थायी
 निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खं. नं. ५४७२, ५४७५ लका.
 ५४८५ कुल किरा १२ कुल रुकवा ३ बीघा १५ बिल्ला राम गुरदह
 वल्लील - मण्डरायल में खनन कार्य नही करे। प्रारिवादीगण नं. १, ५
 व ६ विरुद्ध दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार
 पर्चा डेडी जारी हो निर्णय लिखाया जावर सुनाया गया। पत्रावली
 कुसल शुमार होत नखर से कम होकर दाखिल करार हो।

जोपालकी

मण्डरायल

मकोई

५.६.१७

(बन्ध सदस्य)

(बन्ध सदस्य)

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डरायल (करोली)